Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 23-Oct-2018 **TIME : 12:50 pm**

मुख्य परीक्षा

प्र. दल-बदल की राजनीति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

Discuss the constitutional provisions controlling the politics of defection. Have these provisions been successful in achieving their objectives? (250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु-

- भूमिका में दल-बदल की राजनीति को स्पष्ट करें।
- अगले पैराग्राफ में दल-बदल को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को बताएं।
- फिर अगले पैरा में इस कानून की सफलता और विफलता पर चर्चा करें।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

भारतीय संविधान में सन् 1985 में 52 संविधान संशोधन के माध्यम से अवसरवादी राजनीति को नियंत्रित करने के लिए दल-बदल के आधार पर सदस्यों के लिए निरर्हता का प्रावधान किया गया है। इस संशोधान के माध्यम से चार अनुच्छेदों 101, 102, 190 और 191 को बदला गया तथा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।

प्रावधान:-

- कोई सांसद या विधायक सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा यदि-
  1. जिस दल के टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है, उस दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे।
  2. दल के निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करे।
  3. दल के द्वारा निर्देश दिए जाने पर भी मतदान में भाग न ले।
- यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद दल परिवर्तन कर ले।
- यदि कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह बाद दल परिवर्तन कर ले।
- दल-बदल विरोधी अधिनियम पर अध्यक्ष या सभापति निर्णय लेता है, लेकिन उसके निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है।

सफलता का मूल्यांकन:-

- दल-बदल विरोधी अधिनियम असहमति तथा दल-परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसने विधायिका को असहमति के अधिकार तथा सद्विवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया। अत: इसने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व तथा अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया।
- दल-बदल विरोधी अधिनियम लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि यह सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधि के बजाय दल प्रतिनिधि बना देते हैं। प्राय: ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो दल-बदल कर नई पार्टी का गठन कर लेते हैं फिर वे दल कुछ समय बाद बहुमत में आ जाते हैं जैसे- तृणमूल कांग्रेस, जद (यू)
- दल-बदल अधिनियम सांसदों की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है, जिस कारण संसद में होने वाले वाद-विवाद और चर्चा की गुणवत्ता में कमी आती है।

- यह किसी विधायक द्वारा विधानमण्डल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता है।
- इनका निर्दलीय तथा नाम-निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निरर्हक हो जाता है, जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है।
- व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि अध्यक्ष और सभापति दल-बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं। जैसे दो लोकसभा अध्यक्षों (रविराय- 1991 और शिवराज पाटिल-1993) ने दल-परिवर्तन से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन की अपनी उपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया।

निश्चित रूप से दसवीं अनुसूची को जिस उद्देश्य से लागू किया गया था वह अपने उद्देश्य में पूर्णत: सफल नहीं रही है तथा इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसके माध्यम से राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है और अनियमित चुनाव के द्वारा होने वाले अप्रतिशील व्यय भी नियंत्रित हुआ है।

GS World
Committed To Excellence